न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 145/2022

उनवान

शुभकरण सिंह पुत्र हरजी राम जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. रूकमा देवी धर्मपत्नी स्व. छगना,
2. पारसी दवी पुत्री स्व. छगना,
3. स्व. मेघराज पुत्र स्व. छगना **जरिये विधिक वारिसान,**
3/1. सुमित्रा देवी पत्नी मेघराज
3/2. शोभराज पुत्र मेघराज
3/3. ममता देवी पुत्री मेघराज
4. दुर्गादेवी, पांची देवी पुत्री स्व. छगना,
5. भारमल,
6. पांची देवी पुत्री छगना,
7. सुखपाल,
8. कैलाश पुत्र स्व. छगना समस्त जाति जाट निवासी मावशिया,
9. स्व. मिठ्ठन लाल पुत्र स्व. भोलाराम **जरिये विधिक वारिसान,**
9/1. सुमित्रा देवी पत्नी मिठ्ठनलाल फौत **(तर्क)**
9/2. सुमिता उर्फ सोनू पुत्री मिठ्ठनलाल
9/3. सुमित उर्फ मोनू पुत्र मिठ्ठनलाल
10. शंकर सिंह,
11. यशपाल पुत्र स्व. भोलाराम,
12. सुमिमा देवी पुत्री स्व. भोलाराम,
13. स्व. बद्रीलाल पुत्र स्व. रामदयाल **जरिये विधिक वारिसान,**
13/1. सायरी पत्नी बद्रीलाल
13/2. रामप्यारी
13/3. गोपाली पुत्रीया बद्रीलाल
14. नीरलाल पुत्र स्व. रामदयाल समस्त जाति जाट निवासीगण मावशिया, नसीराबाद,
15. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।

–– प्रतिवादीगण :– 3/2, 5 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
15 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:31 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.7.24

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया के खाता संख्या 274 किता 4 रकबा 0.36, 272 किता 13 रकबा 1.63, 273 किता 2 रकबा 0.72, 399 किता 2 रकबा 1.58, 270 किता 25 रकबा 5.82, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.08, 91 रकबा 0.02, ग्राम लक्ष्मीपुरा प.म. केसरपुरा के खाता संख्या 80 किता 2 रकबा 0.72, ग्राम रामसर के खाता संख्या 1778 किता 3 रकबा 1.38, खसरा नम्बर 9505 रकबा 0.41 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/2, 5 व 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने अपना हिस्सा आबादी भूमि में लिया है तथा कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्रतिवादीगण को दिया है। आबादी भूमि में स्थित बाडे को बैचान कर उसकी रकम वादी ने अकेले ही ले ली है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण पुनः अपना हिस्सा लेना चाहता है। मौके पर वादी का कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल नही किया जा सकता है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की होने से वादी विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है ? — वादी

2. आया आजी मुतनाजा का पूर्व में विभाजन हो जाने के कारण वाद खारिज योग्य है ? — प्रतिवादी संख्या 3/2, 5 व 8

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही किये जने के कारण अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नही की गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

आराजी मुतनाजा अलग–अलग ग्राम के अलग–अलग खातों में वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 3/2, 5 व 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने अपना हिस्सा आबादी भूमि में लिया है तथा कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्रतिवादीगण को दिया है। आबादी भूमि में स्थित बाडे को बैचान कर उसकी रकम वादी ने अकेले ही ले ली है। [illegible] राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण पुनः अपना हिस्सा लेना चाहता है। मौके पर वादी [illegible] काश्त नही है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार [illegible] है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा उसके हिस्से की आराजी [illegible] चुका है किन्तु अपने तथ्य के समर्थन में बैचान के दस्तावेज पेश नही किये है। साथ ही सह खातेदारी आराजी

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

का बैचान वादी द्वारा अकेले नही किया जा सकता है। सह खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा होता है। अतः उक्त आराजी पर वादी का भी हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा का विभाजन पूर्व में हो चुका है किन्तु भू धारक की सहमती के बिना कोई भी विभाजन मान्य नही है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का अलग–अलग हिस्सा दर्ज है। उक्त आराजी का हिस्से अनुसार विभाजन करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। शेष प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हहै।

उक्तानुसार ग्राम मावशिया के खाता संख्या 274 किता 4 रकबा 0.36, 272 किता 13 रकबा 1.63, 273 किता 2 रकबा 0.72, 399 किता 2 रकबा 1.58, 270 किता 25 रकबा 5.82, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.08, 91 रकबा 0.02, ग्राम लक्ष्मीपुरा प.म. केसरपुरा के खाता संख्या 80 किता 2 रकबा 0.72, ग्राम रामसर के खाता संख्या 1778 किता 3 रकबा 1.38, खसरा नम्बर 9505 रकबा 0.41 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:31 IST
Reason: SelfAttested